Fire NOC

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल—cfohdr.ukfs@gmail.com फोन नं0—01334—265700

पत्रांकः न—6 / सीएफओ—एच / 2022 दिनांकः फरवरी 24, 2022।

स्वामी / प्रबन्धक
मैसर्स हिमालय टॉवर,
खसरा नं0—184, 184एम, हनुमन्तपुरम,
ग्राम—जगजीतपुर, परगना—ज्वालापुर,
तहसील व जिला हरिद्वार।

विषयः— प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय भवन के Pre-Establishment प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बरः—85991391, दिनांकः 15.02.2022 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये संलग्न मानचित्र का परिशीलन एवं स्थल का स्थलीय निरीक्षण प्रभारी अधिकारी फायर स्टेशन हरिद्वार से कराया गया, प्रभारी अधिकारी फायर स्टेशन हरिद्वार की निरीक्षण आख्या दिनांकः 22.02.2022 के अनुसार स्थल तक अग्निशमन का वाहन सुगमता से पहुँच सकता है, स्थल के ऊपर से कोई विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं जा रही है एवं बिन्दु संख्या 01 से 15 तक के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सशर्त संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय भवन का मानचित्र के अनुसार निर्माण के उपरान्त तथा भवन को उपयोग में लाये जाने से पूर्व अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें मानचित्र / नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया—2016 के भाग—4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कराकर तथा स्थानीय थाना, अस्पताल एवं फायर स्टेशन हरिद्वार का टेलीफोन नं0 01334—265600 को मुख्य स्थान पर अंकित कराकर इस कार्यालय को सूचित करें, प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय भवन को प्रयोग में लाने से पूर्व व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाये, व्यवस्था संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही अन्तिम रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा एवं मानचित्र में प्रदर्शित सैटबैक के अनुरूप ही भवन निर्माण का कार्य किया जाये, मानचित्र को हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराये जाने के उपरान्त मानचित्र के अनुसार भवन निमार्ण कर प्रयोग में लाने से पूर्व इस कार्यालय से अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, न किये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी / प्रबन्धक की होगी।

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार की संस्तुति आख्या एवं उप निदेशक महोदय (प्र0 / तक0), अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय भवन का निर्माण कार्य इस उपबन्ध के साथ कराया जाये कि भवन के मानचित्र में प्रदर्शित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार के संलग्न पत्र में अंकित व्यवस्थाएं / सुझाव के अनुरूप निर्माण पूर्ण होने तक पूर्ण करा ली जाने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, इस प्रमाण पत्र को अन्तिम अनापत्ति प्रमाण न समझा जाये भवन निर्माण पूर्ण कर संलग्न के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था करने के उपरान्त पुनः ऑनलाईन आवेदन कर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

संलग्नकः यथोपरि।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

था में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार

महोदय,

कृपया श्री प्रबोद अग्रवाल पुत्र श्री ज्ञानेश कुमार, एवं श्री ज्ञानेश कुमार पुत्र स्व0 श्री हजारी लाल अग्रवाल, द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र यूनिक नं0–85991391, दिनांक: 16–02–2022 जो कि वार्ड–56, हनुमन्तपुरम्, ग्राम–जगजीतपुर परगना–ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार के अन्तर्गत खसरा नं0–184, 184एम, में प्रस्तावित हिमालय टॉवर भवन निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र का परिशीलन एवं स्थल का स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक: 22–02–2022 को किया गया है। *निरीक्षण आख्या निम्नवत् है: –*

1. प्रस्तावित स्थल का कुल प्लाट एरिया 2450.66 वर्ग मीटर है।
2. प्रस्तावित स्थल का कुल कवर्ड एरिया 5493.81 वर्ग मीटर है।
3. प्रस्तावित स्थल तक अग्निशमन के वाहन सुगमता से पहुंच सकते हैं।
4. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।

भवन निर्माण के उपरान्त आवेदक को निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें करायी जानी आवश्यक है:–

1. प्रस्तावित भवन का निर्माण भूकम्प रोधी तकनीकी के आधार पर आधारित होगा।
2. प्रस्तावित मभवन में विद्युत व्यवस्था के अन्तर्गत एम.सी.बी. का प्रावधान किया जाय।
3. प्रस्तावित भवन में एन.बी.सी. के अनुरूप पर्याप्त अग्निशमन यंत्रों/उपकरणों का प्रावधान किया जाय।
4. प्रस्तावित भवन में विद्युत व्यवस्था के अतिरिक्त वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाय।
5. प्रस्तावित भवन के टैरिस पर 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) लीटर क्षमता के टैरिस टैंक का प्रावधान किया जाय, एवं प्रत्येक तल में मानकानुसार पर्याप्त मात्रा में होजरील (30 मीटर) मय नाजुल को स्थापित कर होजरील में प्रेशरयुक्त पानी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त क्षमता का टैरेस पम्प स्थापित कर पम्प को होजरील से कनैक्ट किया जाय।
6. प्रस्तावित भवन में डाउन कमर का प्रावधान कर प्रत्येक तल के डाउन कमर के डक्ट के पास होजबॉक्स बनाकर प्रत्येक होजबॉक्स में 02–02 होजपाईप तथा 01–01 साधारण ब्रांच स्थापित किया जाय, तथा डाउन कमर को टैरिस टैंक से कनैक्ट कर प्रेशरयुक्त पानी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त क्षमता के टैरेस पम्प स्थापित किया जाय।
7. प्रस्तावित भवन में 500000 (पाच लाख लीटर) क्षमता के अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंकों को निर्माण किया जाय, जहाँ पर अग्निशमन का बडा वाहन आसानी से पहुँच सके, उस पर पर्याप्त क्षमता के फायर पम्पों (मेन/जॉकी/डीजल पम्प) को स्थापित करते हुए प्रत्येक 100 फीट की दूरी पर यार्ड फायर हाईड्रेन्ट का निर्माण कर प्रत्येक यार्ड हाइड्रेन्ट्स के पास होजबॉक्स बनाकर प्रत्येक होजबॉक्स में 02–02 होजपाईप तथा 01–01 साधारण ब्रान्च स्थापित किया जाय।
8. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल में प्रति 30 वर्गमीटर में 05 किग्रा0 क्षमता के 01–01 अदद ए.बी.सी./सी.ओ.टू फायर एक्सटिंग्यूशर तथा विद्युत पैनल हेतु 22.5 किग्रा0 क्षमता का 01 अदद सी.ओ.टू. फायर एक्सटिंग्यूशर एवं रबर मैट का प्रावधान तथा डी.जी. सैट हेतु 50 लीटर क्षमता का 01 अदद ए.एफ.एफ.एफ फोम ट्राली एवं फायर बकेट मय स्टैण्ड 06 अदद का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
9. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल में आने–जाने हेतु कम–कम 02–02, जीने एवं आपातकालीन द्वार का प्रावधान किया जाये।
10. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक फ्लोर पर मैन्यूली ऑपरेटेड/इलैक्ट्रानिक फायर अलार्म/स्मोक डिडैक्टर सिस्टम का प्रावधान किया जाय।
11. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल में निकास चिन्हों का भी प्रावधान किया जाय।
12. प्रस्तााावित भवन के भू–तल में निर्मित पार्किंग में स्प्रिंकलर/स्मोक डिडैक्टर सिस्टम का प्रावधान किया जाय।
13. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल में निकास मार्ग के ठीक अपोजिट में आपातकालीन द्वार का प्रावधान करेंगे तथा आपातकालीन द्वार का दरवाजा बाहर की ओर खुलना चाहिये।
14. प्रस्तावित भवन के मुख्य स्थान पर आपातकालिन टेलीफोन नम्बर 01334–265600, 101, 112, 100, 108, की सूची ऐसे स्थान पर अंकित किया जाय, जो कि स्पष्ट रूप से दिखायी दे।
15. प्रस्तावित भवन का निर्माण एन.बी.सी. एवं एन.जी.टी. के मानकों के अनुरूप कराया जाय।

- उपरोक्त प्रस्तावित भवन उत्तराखण्ड भवन निर्माण एव विकास उपविधि के अनुसार मानक पूर्ण करता है।

अतः वार्ड–56, हनुमन्तपुरम्, ग्राम–जगजीतपुर परगना–ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार के अन्तर्गत खसरा नं0–184, 184एम, में प्रस्तावित हिमालय टॉवर भवन निर्माण को Pre-Establishment हेतु संस्तुति आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

पत्रांक: न–6/फा0स0ह0/22
दिनांक: फरवरी 22, 2022

अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार

OF THE EXCUTIVE ENGINEER
arakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. Of Uttarakhand Undertaking)
Electricity Distribution Division, Jwalapur,
Haridwar - 249403
Phone No.- 9412073716
पत्रांक 504 / वि0वि0ख0(ज्वा)हरि0 /

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशनलि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)
विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर,
हरिद्वार – 249403
दूरभाष सं0–9412073716
दिनांक 11/02/22

विषय– अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सहायक अभियन्ता
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

उपरोक्त विषयक आप अपने कार्यालय पत्रांक संख्या– 5382 प्रशा0 / विविध / एन0ओ0सी0 / 21–22 दिनांक 03.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा श्री प्रबोद अग्रवाल पुत्र श्री ज्ञानेश कुमार एवं श्री ज्ञानेश कुमार पुत्र स्व0 श्री हजारी लाल अग्रवाल, खसरा नम्बर–184 एवं 184एम, वार्ड नं0–56, हनुमन्तपुरम, ग्राम जगजीतपुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में ग्रुप हाउसिंग के निर्माण की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र व मानचित्र पर विभागीय जांच आख्या आपके कार्यालय में प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त निर्देश के अनुक्रम में उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय पत्रांक संख्या–37 दिनांक 09.02.2022 की आख्या रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में निकटवर्ती विद्युत लाईन से मानक के अनुसार न्यूनतम 3.7 मीटर की दूरी रखने के प्रतिबन्ध के साथ ग्रुप हाउसिंग के निर्माण में कोई आपत्ति नहीं है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

11/02/22
(अरविन्द कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner